नगर और ग्राम नियोजन संगठन

भारत में आर्थिक सुधार और रोजगार वर्धन	शहरों और कस्बों की सुनिश्चित आबादी -2001 (विकास सहित)
शहरी समूहों व कस्बों की सुनिश्चित आबादी-2001	भारत में जल निकासी सुविधाओं वाले परिवार-2001
भारत में विद्युत कनेक्शन वाले परिवार-2001	भारत में पेयजल सुविधा प्राप्त परिवार-2001
भारत में शौचालय सुविधा प्राप्त परिवार-2001	बैंकिंग सेवओं इत्यादि पर रिपोर्ट
भारत के शहरों व कस्बे में नल के पानी की सुविधा प्राप्त परिवार-2001	भारत के शहरों व कस्बों का क्षेत्र, आबादी तथा धन स्व-2001
भारत में जिलों की आबादी-2001	राज्यों के चुनिन्दा जनसांख्यिकीय , और समाज - आर्थिक संसूचक
भारत के शहरों व कस्बों में शौचालय सुविधा प्राप्त परिवार	भारत के शहरों में बैंकिग सेवा सुविधा वाले परिवार तथा विशिष्ट परिसम्पत्ति वाले परिवार

उत्पत्ति और स्थापना

नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन(टीसीपीओ) शहरी एवं क्षेत्रीय नियोजन तथा विकास कार्यनीतियों, अनुसंधान, केन्द्र सरकार की स्कीमों एवं विकास नीतियों के मॉनीटरन तथा समीक्षा से संबंधित मामलों पर शहरी विकास मंत्रालय का तकनीकी परामर्शदायी संगठन है । यह राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों को शहरीकरण, नगर नियोजन , शहरी परिवहन, महानगरीय नियोजन, मानव व्यवस्थापन नीतियों, शहरी एवं क्षेत्रीय सूचना प्रणाली, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संबंधी मामलों पर सहयोग एवं परामर्श प्रदान करता है । यह संगठन अन्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से नियोजन, जीआईएस इत्यादि में कंप्यूटर अनुप्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के अलावा शहरी विकास, शहरी डिजाइन, स्थानिक नियोजन इत्यादि पर परामर्शी कार्य भी करता है । नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन के मुख्य कार्य इस प्रकार है :-

(i) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं / कार्यक्रमों का मूल्यांकन और निगरानी

(ii) शहरी विकास नीतियों और कार्य नीतियों में शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों को परामर्श

(iii) राज्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को तकनीकी परामर्श और सहायता ।

(iv) सामाजिक हित के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुसंधान करना ।

(v) नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मेनुअल तथा गाइड तैयार करना ।

(vi) नियोजन और विकास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में मेनुअल तथा गाइड तैयार करना । शहरी तथा क्षेत्रीय नियोजन और विकास के क्षेत्र में सेवारत नियोजकों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सम्मेलन तथा कार्यशालायें आयोजित करना ।

(vii) विभिन्न स्तरों पर नियोजन परियोजनाओं में परामर्शी सेवायें प्रदान करना ।

(viii) शहरी और क्षेत्रीय सूचना प्रणाली विकसित करना ।

प्रमुख चालू और नई स्कीमें

(i) छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास

सन् 1979-80 से लेकर अब तक सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम चल रही है । इसका उद्देश्य अवस्थापना और सेवा सुविधाओं के साथ चुनिन्दा क्षेत्रीय विकास केन्द्रों का विकास करना है ताकि ये कस्बे आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों के क्षेत्रीय विकास केन्द्र के रुप में उभर सके और ग्रामीण क्षेत्रों व छोटे कस्बों से बड़े व महानगर शहरों की ओर प्रवास को रोका जा सके । स्कीम की शुरुवात से लेकर वित्त वर्ष 2004-05 के अन्त तक 1854 कस्बों को 850.49 करोड़ रु0 की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है । इसके अलावा, केन्द्रीय शहरी अवस्थापना सहायता स्कीम (सीयूआईएसएस) के अन्तर्गत 1202 कस्बों को 24.05 करोड़ रु0 भी जारी किए गए है । आईडीएसएमटी 2004-05 पर एक स्थिति रिपोर्ट, जिसमें स्कीम की मुख्य विशेषताओं , 31-3-2005 तक प्रत्येक राज्य और सघ शासित प्रदेश की घटक वार प्रगति का उल्लेख है ,टीसीपीओ के पास उपलब्ध है ।

(ii) **छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी):** आईडीएसएमटी स्कीम को सरकार द्वारा 3.12.2005 को आरंभ नई स्कीम " छोटे तथा मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) " में मिला दिया गया है । नई स्कीम के दिशानिर्देश सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को परिचालित किए गए हैं । स्कीम के अन्तर्गत टीसीपीओ राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के सदस्य के रुप में मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच करेगा और परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए तकनीकी इनपुट मुहैया कराएगा ।, टीसीपीओ राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट को मानीटर व जांच करेगा और स्कीम की प्रगति के बारे में समय-समय पर मंत्रालय को अवगत कराएगा । टीसीपीओ हर वर्ष स्कीम की स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार होगा और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करेगा ।

(iii) **शहरी मानचित्रण स्कीम:-**

दंडकारण्य के लिए परिप्रेक्ष्य योजना- हवाई फोटोग्रफी का इस्तेमाल करने वाले कस्बों / शहरों के बड़े पैमान पर आकार मानचित्र तैयार करने के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरी मानचित्रण स्कीम आरंभ की गई थी । स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न, राज्यों से 53 कस्बों को दो चरणों में शामिल किया गया था । पहले चरण में 7 राज्यों से 25 कस्बे तथा दूसरे चरण के दौरान 19 राज्यों से 28 कस्बे राज्य सरकारों से परामर्श करके शामिल किए गए हैं । 53 कस्बों की हवाई फोटोग्राफी और मानचित्रण का कुल कार्य पूरा हो गया है और स्कीम के अन्तर्गत सृजित मानचित्र संबंधित राज्य कस्बा नियोजन विभागों को भेजे गए हैं, जिनका इस्तेमाल शहरी नियोजन और अन्य संगत प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है । 53 कस्बों में से 28 कस्बे दूसरे चरण में शामिल किए गए हैं, वे डिजीटल फार्मेट में भी उपलब्ध हैं । इसके अलावा, स्कीम के अन्तर्गत सृजित मानचित्रों की क्षमता जांचने के लिए दो कस्बों यथा खम्माम और नैनीताल को मास्टर प्लान तैयार करने हेतु जीआईएस डाटाबेस सृजन के लिए प्रायोगिक अध्ययन के रुप में लिया गया है । सभी 53 कस्बों के लिए स्कीम की कुल लागत 20.19 करोड़ आंकी गई है ।

(iv) **राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली(एनयूआईएस)**: दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, शहरी मानचित्रण स्कीम बंद कर दी गई है और राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली(एनयूआईएस) स्कीम नामक नई स्कीम में मिला

दी गई है । एनयूआईएस के अंतर्गत 66.28 करोड़ रु0 की अनुमानित लागत पर 137 कस्बों को शामिल करने का प्रस्ताव है । स्कीम के अंतर्गत, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाएगा । एनयूआईएस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए टीसीपीओ नोडल एजेंसी है ।

एनआईयूएस में व्यापक रुप से दो प्रमुख घटक है, जो स्वतंत्र है लेकिन एकछत्र के अंतर्गत उनके संगत उद्देश्य, कार्यनीतियां और बजट हैं , जो इस प्रकार हैंः-

1. शहरी स्थानिक सूचना प्रणाली स्कीम (यूएसआईएस)
2. राष्ट्रीय शहरी डाटा बैंक और संसूचक (एनयूडीबीआई)

राष्ट्रीय शहरी डाटाबैंक और संसूचक घटक में निम्नलिखित दो उप घटक होंगे(1)आवास ओर घरेलू सांख्यिकी तथा (2)राष्ट्रीय शहरी प्रक्षेपण/स्थानीय शहरी प्रक्षेपण/स्कीम को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और प्रचालनीय बनाया गया है ।

(v) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सूनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्थायी बसाव

मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार, टीसीपीओ ने केन्द्रीय टीम के सदस्य के रुप में निम्नलिखित सूनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए लिटल अंडमान, कार निकोबार, द्वीप समूह के दक्षिणी समूह तथा अंडमान व निकोबार ,द्वीप समूह के ग्रेटर निकोबार में स्थायी बसाव के लिए लेआउट प्लान का सर्वे व तैयारी की गई है ।

(vi) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम)

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 3.15.2005 को आरंभ जेएनएनयूआरएम को अगले सात वर्षो के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । मिशन में सक्षम और कारगर विकास केन्द्र बनाने के लिए पहचाने गए शहरों में शहरी अवस्थापना सेवाओं के सुधार की परिकल्पना की गई है ।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत, मुख्य नियोजक, टीसीपीओ शहरी अवस्थापना और शासन के लिए उप मिशन तथा साथ ही शहरी गरीबों हेतु बुनियादी मिशन पर उप मिशन की केन्द्रीय स्वीकृति और मॉनीटरिंग समिति का एक सदस्य है । अतः टीसीपीओ परियोजनाओं की मानीटरिंग व स्वीकृति के लिए तथा साथ ही शहर विकास योजनाओं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच के लिए तकनीकी इनपुट मुहैया कराएगा ।

(vii) चुनिंदा मेट्रो शहरों के लिए नियोजन मानकों , भवन उप नियमों, शुल्क संरचना, भू -एकत्रण तथा संसाधन जुटाव पर एक व्यापक अध्ययन(1999):

यह अध्ययन नियोजन मानकों, भवन उप नियमों, शुल्क संरचना, भू एकत्रण तथा संसाधन जुटाव के संबंध में 9 महानगरों के बीच एक व्यापक अध्ययन था । यह एक लाभप्रद दस्तावेज था, जिसमें महानगर शहरों के लिए शहरी नियोजन व विकास के इन सभी मुद्दों के ब्यौरे दिए गए हैं । अध्ययन का वित्तपोषण मंत्रालय द्वारा किया गया था ।

(viii) **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए भवन उप-नियम, 2003(प्रारुप)**: मंत्रालय के अनुरोध पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 2003 के लिए भवन, उप-नियम टीसीपीओ के सीपी की अध्यक्षता में इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति द्वारा तैयार किए गए थे । चूंकि एनसीटी, दिल्ली को भवन उप नियमों,

2003(प्रारुप) हाल ही में काफी संशोधन किए गए हैं । यह महसूस किया गया कि इसमें भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा-वर्षा जल संग्रहण, अशक्तों और वृद्ध व्यक्तियों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण हेतु प्रावधान शामिल करते हुए संशोधन/अद्यतन किया जाए ।

(ix) मैट्रोपोलिटन शहरों में तुलनात्मक परिवहन प्रोफाइल(प्रारुप), 2003

चुनिंदा मैट्रोपोलिटन शहरों के लिए एक तुलनात्मक परिवहन प्रोफाइल तैयार की गई थी, जिसमें इन शहरों में महत्वपूर्ण परिवहन संबंधी मुद्दों का उल्लेख किया गया है ।

(x) **मॉडल भवन उप-नियम, 2004**

राज्य नगर नियोजन विभागों और विकास प्राधिकरणों के मार्गनिर्देशन के लिए मॉडल भवन उप नियम तैयार किए गए थे ताकि इन्हें उनकी आवश्यकता और स्थानीय स्थितियों के अनुसार अपनाया जा सके ।

सूचना का अधिकार

- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के खंड(ख), उप धारा(1), धारा 4 के तहत टीसीपीओ के बारे में मद-वार मैनुअल/सूचना
- संगठनात्मक चार्ट
- अधिकारियों कीसूची, ग्रुपवार अनुलग्नक-।
- वेतनमान अनुलग्नक-।।